अनुदान संख्या 52 – गृह मंत्रालय
GRANT No. 52–MINISTRY OF HOME AFFAIRS

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*5,00*	*. .*	*–5,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*5,00*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	707,21,00		716,08,00	698,99,24	–17,08,76
पूरक	Supplementary	8,87,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					8,77,56
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			28,05,00	25,20,89	–2,84,11
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					2,12,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *5.00 लाख रु.* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष ''2070'' - ''अन्य प्रशासनिक सेवाएं'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (1708.76 लाख रु.) मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 887.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *Rs.5.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head "2070"-"Other Administrative Services" and was eventually surrendered.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.1708.76 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.887.00 lakhs obtained in March,2005 and constituted 2 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''2052'' सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat-General Services				
मू.	O.	8031.00	7648.54	7522.32	–126.22
पु.	R.	–382.46			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2070'' अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services				
मू.	O.	44233.00			
पू.	S.	887.00	45721.18	45139.91	–581.27
पु.	R.	601.18			
मुख्य शीर्ष ''3454'' जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	Major Head "3454" Census, Surveys and Statistics				
मू.	O.	12635.00			
			11857.36	11779.55	–77.81
पु.	R.	–777.64			
मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	5776.00			
			5462.56	5422.87	–39.69
पु.	R.	–313.44			

(I) चार शीर्षों के अंतर्गत 170.90 लाख रु. का प्रावधान पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से 105.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष ''3454'' - ''जनगणना - अन्य व्यय - गणना'' के अंतर्गत जनगणना कार्य के संबंध में गणनाकारों को उनके द्वारा प्रदत्त मानदेय का राज्य सरकारों से प्रतिपूर्ति दावों के प्राप्त न होने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.170.90 lakhs remained wholly unutilised under four heads; of these Rs.105.00 lakhs alone accounted for under Major Head "3454"-"Census -Other Expenditure - Enumeration"- due to non-receipt of reimbursement claims from State Governments on account of honorarium paid by them to enumerators in connection with Census works.

(II) मुख्य शीर्ष ''2052'' - ''सचिवालय'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "2052" – "Secretariat"- savings occurred under the following heads:-

(का) ''गृह मंत्रालय'' - 318.95 लाख रु. की बचत (6726.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रकाशन

(A) "Ministry of Home Affairs"- saving of Rs.318.95 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6726.00 lakhs) was due to non - receipt of

के लिए बिलों की प्राप्ति न होने, सहायता अनुदान की स्वीकृति के लिए कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने, वित्त मंत्रालय द्वारा अनिवार्य कटौती लागू होने, छुट्टी यात्रा रियायत, मानदेय, चिकित्सा उपचार, अधिकारियों द्वारा दौरे, गजट अधिसूचना पर कम व्यय होने, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सिविल तथा बिजली संबंधी कार्य के पूरा न होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुईं।

(खा) ''स्वापक नियंत्रण ब्यूरो'' - 189.73 लाख रु. की बचत (1305.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दिहाड़ी मजदूरों को कम संख्या में काम पर लगाए जाने, कम चिकित्सा उपचार दावे किए जाने, किफायत के रूप में कटौती लागू किए जाने, राज्य सरकारों को वस्तु रूप में सहायता अनुदान की बजाय सहायता अनुदान देने का निर्णय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2070'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) ''नागरिक सुरक्षा - नागरिक सुरक्षा महानिदेशक'' - 266.68 लाख रु. की बचत (628.70 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी और उपस्करों को न खरीदे जाने, रिक्त पदों के न भरे जाने, कम दौरे किए जाने, विज्ञापन और प्रचार के संबंध में बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) ''अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण - राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालेज'' - 115.17 लाख रु.की बचत (380.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, चिकित्सा दावों की कम संख्या होने, किफायती उपाय किए जाने और मोटर वाहनों की खरीद के संबंध में आपूर्तिकर्ताओं से निविदाओं की अधिसूचना संबंधी कोई प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के कारण हुई।

(गा) ''राजभाषा - केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी का अध्यापन'' - 259.85 लाख रु.की बचत (922.10 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किराया, दरों और करों के संबंध में बिलों के प्राप्त न होने, रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपयों के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3454'' - ''जनगणना'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

bills for publications, less number of proposals for sanction of Grants-in-aid, mandatory cut imposed by the Ministry of Finance, less expenditure on leave travel concession, honorarium, medical treatment, tours by officers, Gazette notification, non-completion of Civil and electrical works by the Central Public Works Department and economy measures.

(B) "Narcotics Control Bureau"- saving of Rs.189.73 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1305.00 lakhs) was due to engagement of less daily wagers, less medical treatment claims, economy cut and decision to give grants-in-aid to State Governments instead of Grants-in-aid in kind.

(III) Under Major Head "2070"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Civil Defence – Director General of Civil Defence" – saving of Rs.266.68 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.628.70 lakhs) was due to non-purchase of machinery and equipment, non - filling up of vacant posts, less tours and non - receipt of bills in respect of advertisement and publicity.

(B) "Fire protection and Control - National Fire Service College" – saving of Rs.115.17 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.380.00 lakhs) was due to non - filling up of vacant posts, less number of medical claims, economy measures and non - response to notification of tenders from the suppliers for the purchase of motor vehicles.

(C) "Official Language-Teaching Hindi to Central Government Employees" –saving of Rs.259.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.922.10 lakhs) was due to non-receipt of bills in respect of rent, rates and taxes, non - filling up of vacant posts and economy measures.

(IV) Under Major Head "3454" – " Census" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''जनगणना आंकड़ों का कंप्यूटरीकरण - जनगणना आंकड़ा संसाधन के लिए कम्प्यूटर प्रणाली'' - 168.64 लाख रु. की बचत (3076.13 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा प्रदान की गई स्कैनिंग को शीघ्र पूरा करने और किफायती उपायों के कारण हुई।

(खा) ''अन्य व्यय'' -

(क) ''पृथक्करण और संकलन'' - 226.29 लाख रु.की बचत (3542.55 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफयती उपायों के कारण हुई।

(ख) ''जनगणना में आंकड़ा प्रसार कार्यकलाप का आधुनिकीकरण'' - 192.30 लाख रु. की बचत (353.45 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र को भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा रियायत दिए जाने की वजह से नेटवर्क परियोजना पर कम व्यय होने और विज्ञापन तथा प्रचार पर कम व्यय किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान - चुनाव-अन्य अनुदान - संसद तथा राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान होम गार्डों की तैनाती'' के अंतर्गत 359.82 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) होम गार्डों की तैनाती के लिए राज्य सरकारों से प्रतिपूर्ति दावे प्राप्त न किए जाने के कारण हुई।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1158.94 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''2070'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :-

(का) ''आप्रवास ब्यूरो - प्रवासियों को सेवाएं'' - 779.81 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 735.62 लाख रु. था।

(खा) ''अन्य व्यय - आसूचना ब्यूरो'' - 379.13 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 112.14 लाख रु. था।

(A) "Computerisation of Census Data-Computer System for Processing Census Data" - saving of Rs.168.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3076.13 lakhs) was due to early completion of scanning provided by National Informatics Centre and economy measures.

(B) "Other Expenditure" -

(a) "Abstraction and Compilation" - saving of Rs.226.29 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3542.55 lakhs) was due to non - filling up of vacant posts and economy measures.

(b) "Modernisation of Data Dissemination Activity in Census" - saving of Rs.192.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.353.45 lakhs) was due to non - filling up of vacant posts, less expenditure on networking project owing to discount given by Bharat Sanchar Nigam Limited to National Informatics Centre and less expenditure on Advertisement and Publicity.

(V) Under Major Head "3601" – "Non-Plan Grants-Elections-Other Grants-Deployment of Home Guards during the Parliament and State Assembly Elections"- saving of Rs.359.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to non - receipt of reimbursement claims from States Governments for deployment of Home Guards.

3.(I) The above savings were partly (Rs.1158.94 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant under Major Head "2070" – under the following heads:-

(A) "Bureau of Immigration - Services to Migrants"- Rs.779.81 lakhs. Actual excess, however, was Rs.735.62 lakhs.

(B) "Other Expenditure - Intelligence Bureau"– Rs.379.13 lakhs. Actual excess, however, was Rs.112.14 lakhs.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 100.00 लाख रु. का समस्त व्यय निधियों के पुनर्विनियोग द्वारा पूरा किया गया।

(II) Under one head entire expenditure of Rs.100.00 lakhs was met by re-appropriation of funds.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

4. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4059'' लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	2325.00	2210.59	2203.23	–7.36
पु.	R.	–114.41			
मुख्य शीर्ष "4216'' आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	480.00	382.41	317.66	–64.75
पु.	R.	–97.59			

(I) मुख्य शीर्ष ''4059 - ''सामान्य - भूमि का अधिग्रहण मानव अधिकार आयोग'' के अंतर्गत 212.00 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मानव अधिकार भवन के निर्माण के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का कम उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(I) Under Major Head "4059 – "General – Acquisition of Land –Human Rights Commission"- saving of Rs.212.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to less utilisation of funds by Central Public Works Department for construction of Manav Adhikar Bhawan.

(II) मुख्य शीर्ष ''4216'' - ''सरकारी रिहायशी भवन - अन्य आवास - संरक्षितों के निवासों पर सुरक्षा से संबंधित निर्माण कार्य'' - 162.34 लाख रु.की बचत (480.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संरक्षितों के निवास पर सुरक्षा संबंधी निर्माण कार्यों के कम संख्या में किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4216"– "Government Residential Buildings-Other Housing-Security related works at the residence of protectees"- saving of Rs.162.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.480.00 lakhs) was due to less number of security related works undertaken at the residence of protectees.